न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर, जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी – चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम सन 1956

प्रकरण संख्या– 07 / 2022

1. रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

बनाम

–अपीलांट

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) भादरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थितः– श्री विजय सिंह कड़वासरा अधिवक्ता अपीलांट।

श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांकः– 13/06/2023

अपीलांट रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन जाटान तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ ने विरूद्ध निर्णय दिनांक 29.11.2021 बअदालत तहसीलदार (राजस्व) तहसील भादरा द्वारा प्रकरण संख्या 33 सन 2020 अनवानी स्टेट बनाम रामस्वरूप में अपीलांट के रिहायशी मकान गांव की आबादी भूमि में पट्टा शुदा से बेदखल करने आदेश दिया है, को निरस्त करवाने बाबत अपील पेश की, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

1. यह कि निर्णय दिनांक 29.11.2021 बअदालत मातहत बखिलाफ कानून, नियम व वाक्यात व रुएदाद मिसल है तथा विधि की भंयकर अवहेलना में पारित किया है तथा काबिल मन्सूखी है। सत्य प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 29.11.2021 संलग्न अपील है।
2. उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट को दिनांक 15.09.2020 को हाजिर आने के लिए नोटिस दिया गया जिस पर अपीलांट ने दिनांक 15.09.2020 को जबाब नोटिस पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट ने गैर मुमकिन चौब की भूमि पर कोई अतिक्रमण नही किया गया है तथा अपीलांट का दादा पड़दादा के समय से अर्सा करीब 70–80 साल पहले से इस जगह पर कच्चे मकान व नोहरा बने हुए हुए थे, जिसको बाद में तोड़कर पक्के तामीर कर लिए थे। प्रार्थी अपीलांट का पक्का रिहायशी मकान गांव जाटान की आबादी भूमि में स्थित है तथा इस मकान में काफी अर्सा से प्रार्थी अपीलांट के नाम से बिजली का कनेक्शन विधुत विभाग द्वारा जारी शुदा है। प्रार्थी अपीलांट के मकान वाली भूमि चौब की भूमि न होकर गांव की आबादी भूमि है जिसके चारों तरफ पुख्ता मकान बने हुए है। राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण पटवारी हल्का से साजबाज कर उक्त भूमि को गैर मुमकिन चौब की भूमि होने की गलत रिपोर्ट तैयार करवाई है जबकि उक्त जगह पर सघन आबादी होने के कारण किसी प्रकार से पैमाईश सम्भव नही है। मगर मातहत

13/06/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अदालत ने अपीलांट के जबाब नोटिस पर कोई गौर ना कर यह निर्णय पारित किया है, जो नियम विरूद्ध है तथा काबिल खारिजी है।

3. प्रश्नतगत जगह का गंगाराम पुत्र बीरबल जाति जाट साकिन जाटान तहसील भादरा के नाम से दिनांक 04.02.1960 को पट्टा नम्बर 14 बना हुआ है तथा यह प्लॉट गंगाराम ने भाई बंटवारे में अपीलांट के पिता हरदयाल पुत्र बीरबल के हिस्सा में आया तथा उक्त प्लॉट में अब अपीलांट पक्के मकान बनाकर मय परिवार पशुधन आबाद है तथा मातहत अदालत ने कोई जांच ना कर कतई नियम विरूद्ध निर्णय पारित किया है तथा निर्णय दिनांक 29.11.2021 इसी आधार पर काबिल खारिजी है।
4. अदालत मातहत ने अपीलांट को कोई सबूत व सुनवाई का नियमानुसार कोई समुचित अवसर नही दिया है, जो दिया जाना आवश्यक था तथा अदालत मातहत ने कोई अवसर न देकर यह निर्णय कर कानूनी गलती की है तथा यह निर्णय काबिल मन्सूखी है।
5. अदालत मातहत का निर्णय सहज न्याय के भी खिलाफ है तथा काबिल मन्सूखी है।
6. अपीलांट ने खसरा नम्बर 323 में कोई भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा अपीलांट अपने दादा पड़दादा के समय का कब्जा भूखण्ड है जिसका सन् 1960 में पट्टा बना हुआ है। अपीलांट का यह पक्का मकान गांव जाटान में भादरा से घेऊ की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित है तथा घनी आबादी के बीच में स्थित है। रिपोर्ट पटवारी हल्का दिनांक 31.07.2020 साक्लो स्टाईल व कस्बा भादरा में बैठकर झूठी पेश की है। ऐसी अन्दाजीया रिपोर्ट पर आधारित निर्णय, अदालत मातहत नियम विरूद्ध तथा काबिल खारिजी है।
7. अपीलांट दादा पड़दादा के पट्टा शुदा भुखण्ड पर मकान बनाकर रिहायश करता आ रहा है। किसी प्रकार चौब की भूमि पर अतिक्रमण नही किया है तथा अपीलांट का मकान आबादी भूमि में स्थित है। अदालत मातहत का निर्णय स्वैच्छाचारी मनमाना व नियम विरूद्ध तथा काबिल मन्सूखी है।
8. अपील अपीलांट न्यायालय हाजा के क्षैत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार की है तथा दो रूपये की कोर्ट फीस पर पेश व कोरोना माहमारी की वजह से सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार अन्दर मियाद हैं।

लिहाजा यह अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 29.11.2021, जो प्रकरण संख्या 33/2020 अनवनी रामस्वरूप बनाम स्टेट बअदालत मातहत निरस्त फरमाया जावें ।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट श्री विजयसिंह कड़वासरा ने अपनी बहस में कथन किया कि दिनांक 29.11.2021 को न्यायालय तहसीलदार भादरा द्वारा पारित निर्णय में अपीलांट को अतिक्रमी मानते हुये बेदखली का आदेश दिया। उक्त बेदखली आदेश के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट. पेश की है। हमारा मकान–जमीन गैर मुमकिन पायतन की नहीं है। हमारे कच्चे मकान थे और पक्का मकान बना लिया है। जमीन पूर्वजों के समय से ही हमारे कब्जे की है। दिनांक 04.02.1960 का पट्टा बना हुआ था। बंटवारे में पिता हरदयाल को मिला जिस पर अपीलांट का मकान है। रेस्पोडेन्ट ने संवत 2029 से पहले का कोई रिकॉर्ड पेश नहीं किया है। हमनें पट्टे पेश किये है। प्रार्थना–पत्र भी पेश किया है कि संवत 2029 से पूर्व का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। आबादी की भूमि है और जोहड़ पायतन की भूमि होनें का कोई दस्तावेज नहीं है। केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर आदेश हुआ है। कोई साक्ष्य भी संलग्न नहीं है। उक्त भूखण्ड मेरे पिता को बंटवारे

13/06/2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

में मिला, जिस पर मैं मय परिवार आबाद हूँ। मैं यहां रिहायश कर रहा हूँ। मेरा पट्टा रजिस्टर्ड है। अपील स्वतः साबित है। सरकारी वकील ने स्वंय माना है कि रिकॉर्ड नहीं है। अपील स्वीकार की जाए व निर्णय 29.11.2021 को खारिज किया जावे।

श्री राजेश कौशिक (रेस्पोडेन्ट) राजकीय अधिवक्त ने लिखित बहस पेश की, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है–

(1) यह कि सूक्ष्म रूप से तथ्य इस प्रकार हैं कि पटवारी हल्का जाटान की रिपोर्ट के अनुसार रोही मोजा जाटान की मुताबिक रिपोर्ट गैर मुमकिन चौबे खसरा नं. 323 की 0.054 हैक्टयर भूमि पर पक्का रिहायशी मकान बनाकर सवंत 2077 वर्ष 2020 में गैर सायल रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन जाटान द्वारा पक्का रिहायशी मकान बनाकर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया गया है, इसलिये उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

(2) यह कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। नोटिस की तामिल अप्रार्थी को हुई जवाब नोटिस अप्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया और उक्त भूमि पर पट्टा जारी होना बताया गया लेकिन पट्टे की न तो कोई प्रति सलग्न की गई और न ही अन्य साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। मातहत अदालत ने पटवारी रिपोर्ट के आधार पर ग्राम जाटान की मुताबिक रिकॉर्ड गैर मुमकिन चौबे खसरा नं. 323 तादादी 0.054 हैक्टयर भूमि पर पक्का रिहायशी मकान बनाकर सवंत 2077 वर्ष 2020 मे गैर सायल अपीलांट रामस्वरूप पुत्र हरदयाल जाति जाट साकिन जाटान तहसील द्वारा की जानी पाई गई तथा ऐसी भूमि पर गैर सायल अपीलांट को उक्त उल्लेखित कृत्य करने का कोई हक नही है। अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया। सर्वोच्चय न्यायालय के निर्णय अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में चौब, जोहड़, पायतन साबित करना होता है, मगर मातहत अदालत की पत्रावली मे सवंत 2029 से 2038 से पहले का कोई रिकॉर्ड पेश नही है जबकि अपील की पत्रावली मे अपीलांट गैर सायल की तरफ से गंगाराम पुत्र हरदयाल के नाम पटटा सं. 14 दिनांक 04.02.1960 प्रस्तुत किया है तथा उक्त पट्टा शुद्वा प्लॉट गंगाराम ने अपने भाई हरदयाल पुत्र बीरबल को बंटवारा में प्राप्त होना कथन किया है तथा अपीलांट गैर सायल ने ग्राम पंचायत रासलाना का द्वारा जारी पट्टा विक्रय विलेख आबादी भूमि की पट्टा बही प्रस्तुत है जिसमे 70–80 साल से अपीलांट गैर सायल के पूर्वजो का कब्जा साबित होता है तथा इस तरह अपीलांट गैर सायल को सुखाधिकार प्राप्त है। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि उक्त पत्रावली में नियमानुसार निर्णय फरमाया जावे।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एंव अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली देखनें पर ज्ञात होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली का निस्तारण केवल पटवारी की मौका रिपोर्ट के आधार पर कर लिया गया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में संलग्न दस्तावेजो में उक्त भूमि के चित्र भी संलग्न किए है कि यहां पर पक्का मकान बना है और साथ ही इसका पट्टा भी संलग्न किया है जो कि वर्ष 1960 का बना हुआ है। ऐसे में किसी व्यक्ति को महज पटवारी रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी मानकर उसका मकान तोड़ने का आदेश जारी करना तार्किक निर्णय नहीं है। मकान किसी व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है जिसे अतिक्रमी माननें से पूर्व उस भूमि की पूर्ण जांच की जानी चाहिए थी। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। किसी प्रकार की टीम

13.6.2023
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

का गठन नहीं किया गया और न ही सेटलमेंट से माप हेतू सहायता ली गई। चूंकि आबादी का खसरा 322 व पटवारी रिपोर्ट अनुसार वर्णित खसरा नं0 323 पास–पास है तो यहां मौके को लेकर अधीनस्थ न्यायालय को पटवारी रिपोर्ट पर आश्वस्त नहीं होना चाहिए। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पट्टा भी इसके आबादी में होनें का पक्ष प्रस्तुत करता है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों पर विचार नहीं करते हुए एकतरफा निर्णय पारित किया है। अतः इस न्यायालय के मत में उक्त प्रश्नगत आदेश दिनांक 29.11.2021 काबिले खारिज होनें से खारिज किया जाता है। इसी निर्णय अनुसार प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का तलबशुदा रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाई जावे। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नबंर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 13.06.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

13.6.2023

(चंचल वर्मा आर.ए.एस.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)